न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण आरएएस

प्रकरण संख्या आदेश 17 सन 2018
पंजीयन दिनांक 25.5.2018

1.नारायण पिता अमरचंद कुमावत ।
2.भवानलाल पिता अमरचंद कुमावत ।
3.सुनिता पुत्री अमरचंद कुमावत ।
4.सीताबाई पत्नी अमरचंद कुमावत सभी नि.पंचदेवला तह.भदेसर ।
–अपीलांट

विरूद्व

1.गोवर्धनलाल पिता नेतराम कुमावत ।
2.रामकन्या पत्नी गोवर्धनलाल कुमावत दोनो नि.पंचदेवला ।
3.राज्य जरिये तहसीलदार भेदसर ।
–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्डअधिकारी भदेसर
प्रकरण संख्या 127/2017 दिनांक 16.5.2018

उपस्थित'–श्री चन्दनमल जणवा–अधि.अपीलांट
श्री रमेशशर्मा–अधि.रेस्पो–1 2
श्री पूरणमलस्वर्णकार–राज.अधि.
–0–

निर्णय दिनांक 9.2.2021

प्रकरण के तथ्य सक्षैप में इस प्रकार हैकि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व2 ने उपखण्डअधिकारी भदेसर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251ए के अन्तर्गत ग्रम सरलाई पटवार हल्का होडा में स्थित आराजी नम्बर 423 रकबा 0.45,हैक्टेयर आराजी नम्बर 522/423 रकबा 0.0500हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 523/423 रकबा 0.4900हैक्टेयर एवं विपक्षी की आराजी नम्बर 545/421 रकबा 0.86हैक्टेयर के सबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो उपखण्ड अधिकारी भदेसर ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्रम सरलाई की खाता संख्या 17 व 18 पर दर्ज आराजी नम्बर 423 रकबा 0.45 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 522/423 रकबा 0.0500हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 523/423 रकबा 0.4900 हैक्टेयर पर पहुच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में विपक्षीकरण की खातेदारी की आराजी नम्बर 545/421 रकबा 0.86हेक्टेयर मे से 0.02 हैक्टेयर भूमि को तहसीदार भदेसर द्वारा प्रस्तावित अनुसार राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया जिसके विरूद्व अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

वकील अपीलांट का कथन है कि लोकअदालत की सूचना अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही दी गयी न ही मौका कमिश्नर रिपोर्ट कायम करते समय पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट का सूचित किया गया कमिश्नर रिपोर्ट एक तरफा कार्यवाही में कायम की गयी जो केवल मात्र प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के कथनानुसर बनायी गयी है जब कि विभिन्न न्यायिक दृष्टातं में यह विधिक सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि कमिश्नर रिपोर्ट उभ्यपक्ष की उपस्थिति मे बनायी जानी चाहिये तथा 251ए के मामलो में कमिश्नर रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक से निम्न अधिकारी द्वारा कायम की हुई नहीं होनी चाहिये अपीलांट के प्रकरण कमिश्नर रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा कायमकी गयी है जो विधिअनुसार अनुचित है साथ ही अपीलांट का यह भी कथन रहा हैकि उसे प्रार्थना

पत्र पर जवाब देने का अवसर ही नही दिया तथा प्रकरण को लोकअदालत कैम्प में नियत करते हुये एक पक्षीय रूप से निर्णित कर दिया इससे अपीलांट अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखने से वंच्छित रह गया तथा वैकल्पिक मार्ग का सुझाव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रह सका जब कि उसको अपना पक्ष रखने का तथा वैकल्पिक मार्ग सुझाव सुझाने का वक्त कमिश्नर पुरा अधिकार था जिससे वह वंच्छित रहा गया ऐसीस्थिति मे अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने जवाब बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया है कमिश्नर रिपोर्ट नियमानुसार है तथा प्रकरण को लम्बा करने से उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त फरमाई जावें ।

मैने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि कमिश्नर रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा बनायी गयी है जो राजस्व नियमावली के नियम 69 के अनुसार उचित नहीं है तथा जवाब में नियत पत्रावली लोकअदालत में नियत करते हुये अपीलांट की अनुपास्थिति में निर्णय पारित कर दिया जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वांत आर.एल.डब्लू 2008 पार्ट–2 पेज 975 में प्रतिपादित किया गया है लोकअदालत न्यायालय की तरह प्रतिपक्षीय न्याय निर्णयन में प्रविष्ट नहीं हो सकती जहां पक्षकारो के मध्य कोई समझोता या निपटाया नहीं हो सकता वहा मामले को उस न्यायालय को पुनःकानून संवत निर्णय हेतु लोटा दिया जाना चाहिये जिससे अपीलांट की अपील स्वीकारकी जाकर प्रकरण पुनःअधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना में उचित समझता हूं ।

अतः अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी भदेसर का आदेश दिनांक 16.5.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैकि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब करते हुये गुणावगुण पर निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ